राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प (7)(47)(54) परि/नियम/मु./पार्ट/V/2007/1593 जयपुर दिनांकः– 23/01/2020

कार्यालय आदेश. 7/2020

प्रदेश में ट्रकों की ओवरलोडिंग की प्रवृति की रोकथाम एवं ओवरलोडिंग के प्रकरणों के निस्तारण में एकरूपता रखने की दृष्टि से पूर्व में कार्यालय आदेश सं. 06/2010 दिनांक 05.02.2020 जारी किया गया था। इसके उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटिशन (पीआईएल) नं. 4536/2014 में दिये गये आदेश दिनांक 19.02.2015 में विभागीय कार्यालय आदेश सं. 06/2010 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है।

अतः प्रदेश में खनन एवं अन्य सामग्री के निरन्तर ओवरलोड परिवहन के दृष्टिगत कार्यालय आदेश 06/2010 दिनांक 05.02.2010 की निरंतरता में क्षमता से अधिक भार वहन करने वाले भार वाहनों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही में एकरूपता लाने एवं अधिक प्रभावी कार्यवाही किये जाने की दृष्टि से पुनः निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. भार वाहन में अधिभरण पाये जाने पर चालक का लाईसेन्स जब्त किया जावें तथा वाहन चालक को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई का नोटिस दिया जावे। सुनवाई उपरान्त लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा अधिनियम 1988 की धारा 19(f) सहपठित केन्द्रीय मोटरयान निमय, 1989 के नियम 21 (8) के अन्तर्गत वाहन चालक के लाइसेंस के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें।
2. वक्त चैकिंग मल्टी एक्सल वाहनों पर निर्धारित एवं वांछित एक्सल नहीं लगे होने, वाहनों की भौतिक एवं यांत्रिक हालत ठीक नही होने एवं वाहनों को निरन्तर ओवरलोड भरकर परिवहन करने की मंशा से वाहन के मूल स्वरूप में परिवर्तन किये पाये जाने पर संबंधित भार वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 53(1)(क) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बित किये जावे।
3. क्षमता से अधिक भार वहन करने वाले भार वाहनों द्वारा परमिट शर्तो के उल्लंघनों के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर प्रथम अपराध पर परमिट निलम्बन एवं पश्चात्वर्ती अपराध पर परमिट निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावे।
4. जिन-वाहनों पर उपयुक्त एक्सल नहीं लगे है अथवा वाहन की भौतिक एवं यांत्रिक हालत मोटरवाहन अधिनियम के मापदण्डों के अनुकूल नहीं है, उन वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र अधिनियम 1988 की धारा 56(4) के अन्तर्गत मौके पर तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारियों द्वारा निरस्त किया जावे। फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त होने पर परमिट तथा पंजीयन प्रमाण पत्र स्वतः निलम्बित हो जाता है।
5. ओवरलोड माल परिवहन करने वाले भार वाहनों का केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 115(7) के अन्तर्गत अपेक्षित प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध नहीं होने की स्थिति में नियम 1989 के नियम 116(8) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बित किया जावे। ओवरलोड माल परिवहन करने वाले भार वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध होने के उपरान्त भी Visibly Polluting होने की सम्भावना रहती है। अतः ऐसे वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

Scanned by CamScanner

6. मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 एवं 114 के अन्तर्गत अपराध कारित करने वाले वाहनों के चालान बनाकर डिटेन किया जाकर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें तथा इसके उपरान्त चालान को कम्पाउन्ड कर अतिरिक्त भार को ऑफ लोड कर ही वाहन को मुक्त किया जावे।
7. भार वाहनों से ओवरलोड माल परिवहन करने वाले माल प्रेषक (Consigner), माल प्राप्तकर्ता (Consignee) एवं माल परिवहनकर्ता (Transporter) के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।
8. चालान बनाते समय ओवरलोड माल परिवहनकर्ता (Transporter) का नाम भी पंचनामें में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।
9. चैंकिग से बचकर भागने वाले ओवरलोड भार वाहनों एवं ओवरलोड भार को तुलवाने से मना करने वाले वाहन चालक/स्वामी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये जाकर चालान में वाहन को खतरनाक एवं तेज गति से भगाये जाने अथवा तुलवाने से मना किये जाने के अपराध का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे।
10. अवैध रूप से खनन की गई बजरी का व्यावसायिक परिवहन करने वाले ट्रेक्टर–ट्रोली पर भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावे।
11. अन्य जिलों/राज्यों में जाने के उद्देश्य से राष्टीय राजमार्गों एवं अन्य मुख्य मार्गों पर लम्बी दूरी तक ओवरलोड भार लेकर संचालित होने वाले भार वाहनों के उद्गम स्थल से संबंधित जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में चैकिंग करने पर, ओवरलोड भार पाये जाने की स्थिति में भार वाहनों के द्वारा संचालित मार्ग पर पड़ने वाले संबंधित जिलों के प्रवर्तन स्टॉफ यथा संबंधित क्षेत्र के उड़नदस्तें में कार्यरत परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं जिला परिवहन अधिकारी ओवरलोड भार वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त आदेशों की सख्ती से पालना की जावे। अन्यथा संबधित निरीक्षक/अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनत्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(राजेश यादव)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः– प (7) (47) (54) परि/नियम/मु0/पार्ट/V/2007/1594-99 जयपुर दिनांकः– 23/01/2020

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.....।
3. समस्त जिला परिवहन अधिकारी.....।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण.....।
5. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Scanned by CamScanner